बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री सनोज कुमार, तत्कालीन नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षक, (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति के उपरांत बिहार राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ में पदस्थापित) के विरूद्ध प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना के पत्रांक–1687 दिनांक– 05.02.2015 द्वारा अपराधिक संयत्र कर सुनियोजित तरीके से विचलन कर चावल की कालाबाजारी करने तथा 6480 बोरा चावल गबन कर निगम को भारी क्षति पहूँचाने संबंधित सूचना उपलब्ध करायी गयी । उक्त उपलब्ध कराये गये सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2552 दिनांक– 25.03.2015 द्वारा श्री कुमार को निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय, प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ निधारित किया गया । जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के ज्ञापांक– 542 दिनांक– 12.06.2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध सी0एम0आर0 गढ़बनैली एवं शीशबाड़ी गोदाम में लापरवाही, परिवहन–सह–हथालन अभिकर्ता के साथ सांठ–गांठ कर एकरारनामा में अंकित शर्तो का जानबुझकर उल्लंघन कर सरकार को वित्तीय हानि पहूँचाना एवं सी0एम0आर0 गोदाम के स्टॉक का विधिवत संधारण नहीं करना संबंधित आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया । श्री कुमार के विरूद्ध उपलब्ध कराये गये उक्त आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–9358 दिनांक– 17.12.2015 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए उप निदेशक खाद्य, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । उक्त के क्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पत्रांक– 10/05/2015–बी0 दिनांक– 30.11.2015 के द्वारा श्री कुमार से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय आदेश ज्ञापांक– 9417 दिनांक– 18.12.2015 द्वारा श्री कुमार को निलम्बन मुक्त किया गया ।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी तीनों आरोप को प्रमाणित नहीं माना गया, जबकि जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के क्रम में स्पष्ट होता है कि श्री कुमार की प्रतिनियुक्ति उक्त गोदाम में ही थी जिस गोदाम के संबंध में आरोप गठित किया गया था । मात्र यह कहना कि वे दिनांक– 07.04.2014 के पश्चात् गुणवत्ता नियंत्रक के रूप में कार्यरत थें । जबकि इसके पूर्व में वे सहायक गोदाम प्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके थे, ऐसी स्थिति में वे अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकते । फलतः समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये जिसके लिए विभागीय पत्रांक– 356 दिनांक– 23.01.2018 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गयी । उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित किया गया। द्वितीय कारणपृच्छा में श्री कुमार द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नही किया गया है वस्तुतः उनके द्वारा मूल रूप से उन्हीं तथ्यों की पुनरावृति की गयी है जो संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित स्पष्टीकरण में की गयी है । फलतः श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है ।

3. अतः सम्यक् समीक्षोपरान्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार की पाँच वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के साथ गबन की गयी राशि की समानुपातिक वसुली का दण्ड संसूचित करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है ।

D:\backup\Year_2016(PK)\sec-08 (08-09-2016)\sec_8\Off_ord. doc AKS

4. निलम्बन अवधि में बितायी गयी सेवा के लिए श्री कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

Sd/- 22/x/xviii

(चन्द्रशेखर)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0 पूर्णियाँ–48/2017 5050 /खाद्य,पटना/दिनांक 23/10/18

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/पूर्वी चम्पारण/संयुक्त सचिव–सह–वरीय पदाधिकारी, प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ उप निदेशक खाद्य, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ –सह– संचालन पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ –सह– साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ/पूर्वी चम्पारण/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ श्री सनोज कुमार, तत्कालीन नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षक, (बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में प्रतिनियुक्ति के उपरांत बिहार राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ में पदस्थापित) सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, संग्रामपुर, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/- 22/x/xviii

सरकार के अपर सचिव ।